वर्ष 4, अंक 71

राष्ट्र महिला

सितम्बर 2005 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

इस देश में जहां महिलाओं को बहुधा घर पर अथवा कार्यस्थल पर, यहां तक कि सड़कों पर भी, भेदभाव और वंचनाओं का सामना करना पड़ता है, संसद द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का संशोधन करना तथा घरेलू हिंसा विधेयक, 2005 का पारित किया जाना महिलाओं के समानता प्राप्ति के संघर्ष में एक और मार्ग-शिला है।

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) 2004 केवल इसलिए ही महत्वपूर्ण नहीं है कि इससे महिलाओं को पुश्तैनी सम्पत्ति सहित सभी सम्पत्ति में समान अधिकार मिलेगा, अपितु इसलिए भी कि उन्हें कृषि भूमि पर समान अधिकार प्राप्त होगा। मूल विधेयक में कृषि भूमि शामिल नहीं थी और देश में महिला संगठनों द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के फलस्वरूप ही इसे शामिल किया गया। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में पुत्रियों को पुत्रों के बराबर का अधिकार प्राप्त होगा।

जहां तक घरेलू हिंसा संबंधी विधान का प्रश्न है, उपरोक्त अधिनियम उन महिलाओं को अधिक प्रभावशाली संरक्षण प्रदान करता है जो परिवार में अथवा तत्संबंधित किन्हीं मामलों में किसी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं।

चर्चा में — महिलाओं के हितार्थ एक और कदम

इस व्यापक विधान का उद्देश्य महिलाओं का सभी प्रकार का शोषण रोकना है - शारीरिक, यौनिक, मौखिक, भावात्मक अथवा आर्थिक - और वास्तविक दुराचार या दुराचार के खतरे से उनकी रक्षा करना। महिला अथवा उसके परिजनों द्वारा गैर कानूनी दहेज की मांग इस विधेयक के दायरे में आयेगी। संयुक्त परिवारों अथवा लघु परिवारों में रहने वाली महिलाओं पर यह विधेयक लागू होगा और परिवार के सदस्यों द्वारा, सास-ससुर द्वारा या अन्य रिश्तेदारों द्वारा सताये जाने पर उन्हें राहत पहुंचाएगा।

इसके अतिरिक्त, घरेलू हिंसा की सूचना पाने वाला पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदायक अथवा मजिस्ट्रेट पीड़िता को यह जानकारी देगा कि उसे एक अर्जी देकर संरक्षण आदेश प्राप्त करके राहत पाने का अधिकार है, वह सेवा प्रदायकों की सेवाएं प्राप्त कर सकती है, 1987 के कानूनी सेवाएं प्राधिकारी अधिनियम के अंतर्गत मुफ्त कानूनी सहायता पाने की अधिकारी है और जहां भी भारतीय दंड विधान की धारा 498क लागू हो, वहां इस धारा के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने का उसे अधिकार है।

परन्तु भारतीय महिलाओं की - जो दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और कदाचर सहती रहती हैं - सहायता महज कानून नहीं कर सकते। आवश्यकता है लोगों की मानसिकता में बदलाव लाए जाने की; केवल आम जनता की मानसिकता नहीं, अपितु कानून-निर्माताओं की भी।

मेरी दिल्ली पुरस्कार - 2005

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास को सामाजिक अधिकारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'मेरी दिल्ली पुरस्कार' से नवाज़ा गया। यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिल्ली के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनकी अनुकरणनीय उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।

डा. गिरिजा व्यास हरियाणा के राज्यपाल श्री ए.आर. किदवई से पुरस्कार प्राप्त करते हुए

माता का स्तन-पान नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है

i) शिशु जन्म के आधे घंटे के भीतर स्तन-पान कराना प्रारम्भ करें।

ii) प्रथम कुछ दिनों तक स्तन-दुग्ध के साथ आने वाली पेउसी - एक गाढ़ा पीला श्राव - में संक्रमण-विरोधी तत्व होते हैं और इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

iii) स्तन-दुग्ध से शिशु को सम्पूर्ण आहार मिलता है; शिशु को शहद, जल अथवा किसी अन्य तरल पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती।

iv) छः मास तक अपने बच्चे को केवल स्तन-पान कराएं।

v) स्तन-पान से माता और शिशु के बीच एक भावात्मक बंधन बनता है।

भ्रूण हत्या तथा बालिका-हत्या पर सम्मेलन

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में नारी भ्रूण-हत्या तथा बालिका-हत्या विरोधी कानून के कार्यान्वयन पर राज्यों के सचिवों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास विभाग के सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों ने भाग लिया।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि गर्भधारण-पूर्व तथा जन्म-पूर्व निदान तकनीक के दांडिक प्रावधानों को कठोर बनाने की आवश्यकता है क्योंकि देश में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात वर्ष 1991 में 1000:976 से गिर कर 2001 में 1000:927 रह गया।

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री रामदास ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि नारी भ्रूण-हत्या को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी कक्ष की स्थापना की जायेगी। उन्होंने गर्भ धारण-पूर्व तथा जन्म-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के दंड संबंधी प्रावधानों को और कठोर बनाए जाने पर जोर दिया।

राज्यों के सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन में सुश्री रेवा नय्यर, डा. गिरिजा व्यास, डा. अंबुमानी रामदास, श्रीमति कांति सिंह, और (नीचे) सुश्री नीवा कंवर, सुश्री मालिनी भट्टाचार्य, सुश्री सुशीला तिरिया, डा. गिरिजा व्यास, सुश्री यास्मीन अब्रार और सुश्री निर्मला वेंकटेश

श्री रामदास ने कहा कि इस कक्ष में अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी, गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य तथा नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि होंगे जो अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के प्रयोजन से इन लिंग निदान क्लिनिकों का अचानक निरीक्षण करेंगे।

कुछ वक्ताओं ने कहा कि एक लाख रुपये के जुर्माने और पांच वर्ष तक के कारावास के वर्तमान दंड को कहीं अधिक बढ़ाने से यह कानून अधिक प्रभावशाली बनेगा। गर्भधारण-पूर्व और जन्म-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है। यद्यपि गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम में लिंग-चयनित गर्भपात की अनुमति नहीं है, तथापि गर्भ-निरोधकों की विफलता के फलस्वरूप 'गर्भवती महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर आघात को रोकने के लिए' इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि गर्भधारण के बारह सप्ताह बाद किये गये गर्भपातों पर निगरानी रखी जाये और अधिनियम में संशोधन किया जाये।

शिकायत कक्ष से

उत्तर प्रदेश में कोटद्वार की रहने वाली श्रीमति सावित्री देवी ने आयोग से शिकायत की कि उनकी गूंगी और बहरी पुत्री सुनीता (बदला हुआ नाम) का शोषण किया जा रहा है। सुनीता नई दिल्ली में एक स्कूल में पढ़ रही थी।

सावित्री के पड़ोसी महेन्द्र प्रसाद का लड़का रोहित कुमार (बदला हुआ नाम) भी इसी समय आर.के. पुरम, नई दिल्ली, में अपनी पढ़ाई के सिलसिले में रह रहा था। कुछ समय पूर्व सावित्री ने अपनी लड़की का नाम मूक और बधिर स्कूल से कटवा लिया और उसे कोटद्वार में अपने घर ले आयी। रोहित कुमार उसके घर आकर लड़की से मिला करता था और इन मुलाकातों में उसने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लिए जिसके परिणामस्वरूप सुनीता गर्भवती हो गयी। जब सावित्री को यह बात पता चली तो उसने रोहित कुमार पर सुनीता से विवाह करने का दबाव डाला और जुलाई 2004 में कोटद्वार में दोनों का विवाह हो गया। विवाह का पंजीकरण भी हुआ। अगस्त 2004 में महेन्द्र प्रसाद ने अपने लड़के और बहू का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात्, रोहित कुमार ने सुनीता को छोड़ दिया। यह स्थिति आने पर, सावित्री ने आयोग से गुहार की। इससे पूर्व, वह न्याय पाने के लिए पुलिस के पास गयी थी किन्तु वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। आयोग ने गढ़वाल के पुलिस अधीक्षक को बुलाया और इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया। आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने सुनीता के पति को ढूंढ निकाला और उसे मंत्रणा दी। अब वह अपनी पत्नी के पुनर्वास पर सहमत हो गया है।

महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए विशेष बीमा योजना प्रारम्भ होगी

महाराष्ट्र सरकार का विचार महिलाओं के लिए राज्य में एक विशेष योजना प्रारंभ करने का है जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली, विकलांग और भूमिहीन महिलाओं पर लागू होगी। यह योजना पांच वर्ष तक वैध होगी।

पॉलिसी का प्रीमियम 1 रुपये या 2 रुपये होगा और इसके अंतर्गत छोटी दुर्घटनाओं के लिए 10,000 रुपये, आंशिक विकलांगता के लिए 50,000 रुपये तथा मृत्यु हो जाने पर 1,00,000 रुपये दिए जायेंगे।

योजना में प्रसूति, स्तन केंसर तथा अन्य महिला संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों के लिए चिकित्सा-व्यय दिए जाने का प्रावधान भी होगा।

महिलाओं के लिए वेबसाइट

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में महिला-संबंधित दो वेबसाइटों का उद्घाटन किया - राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए (www.ncw.nic.in) और राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र के लिए (www.nrcw.nic.in) महिलाएं यहां अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग में पूर्ण बदलाव लाने का संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के शीर्षस्थ निकाय को अपनी सार्थकता केवल शिकायतों को दूर करने में ही नहीं, अपितु उन्हें सशक्तिकृत करने में भी सिद्ध करनी चाहिए। यह स्वीकार करते हुए कि आयोग में गंभीर कमियां हैं, श्री अर्जुन सिंह ने कहा कि मार्च, 2006 तक इन कमियों को दूर कर दिया जायेगा ताकि आयोग अपनी भूमिका अधिक कारगर तरीके से निभा सके।

इससे पूर्व, अपने स्वागत भाषण में सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र का उद्देश्य महिला विकास में सक्रिय रूप से रत संस्थाओं एवं व्यक्तियों को नेटवर्क सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त महिलाओं के विकास के क्षेत्रों में सूचना आधार तैयार करना तथा महिलाओं के वर्तमान मुद्दों पर संसूचना-सर्जन को बढ़ावा देना है।

श्रोतागणों को संबोधित करते हुए आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि प्रारंभ में वेबसाइट पर प्राप्त की जाने वाली शिकायतें अंग्रेजी में होंगी, किन्तु 1 अक्टूबर से इस प्रणाली में सुधार लाकर हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी शिकायतें प्राप्त की जा सकेंगी।

उन्होंने बताया कि 'आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या इस वर्ष बहुत बढ़ गयी है। पूरे विगत वर्ष में 5000 शिकायतें मिली थीं, जबकि इस वर्ष अगस्त मास तक लगभग 7000 शिकायतें मिल चुकी हैं।' उन्होंने कहा कि नये वेबसाइट से ग्रामीण महिलाओं सहित विपदाग्रस्त महिलाओं को अधिक संख्या में आयोग के समक्ष आने का प्रोत्साहन मिलेगा और वे अपनी शिकायतों की स्थिति भी ऑनलाइन कर देख सकेंगी।

श्री अर्जुन सिंह वेबसाइटों का उद्घाटन करते हुए। साथ में हैं डा. गिरिजा व्यास, सुश्री मालिनी भट्टाचार्य, सदस्य-सचिव श्री एन.पी. गुप्ता

वेबसाइट का व्यवस्थापन राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय संसूचना केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा और उसे बराबर प्रोन्नत किया जाता रहेगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र के वेबसाइट का सम्पर्क डिजिटल केटलॉग, आंकड़ों, महिला संगठनों संबंधी सूचना, कानूनों, प्रमुख भारतीय महिलाओं के वृत्तों और देश-पर्यंत महिलाओं पर किए गए अध्ययनों के सार के माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संकलनों से होगा। यद्यपि यह वेबसाइट भारत पर केन्द्रित होगा, 'सार्क' देशों के साथ इसके क्षेत्रीय सम्पर्क होंगे तथा बड़े देशों की तुलना में यह आंकड़े प्रदान करेगा।

बलात्कार की शिकार महिलाओं को मुआवजा दिए जाने की आयोग की योजना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार की शिकार हुई महिलाओं को 2 लाख से 5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिए जाने की एक योजना तैयार की है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में तैयार की गयी इस प्रारूप योजना के अनुसार, जिलाधीशों के अंतर्गत जिला अपराध जांच राहत बोर्डों की स्थापना की जायेगी जो बलात्कार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करेंगे।

बोर्ड से मुआवजा दिए जाने की याचिका पीड़िता द्वारा या उसके कानूनी वारिस द्वारा अथवा पीड़ित की ओर से किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा दी जा सकती है।

बोर्ड यदि विश्वस्त है कि प्रथम दृश्या बलात्कार का मामला बनता है तो पीड़ित को 20,000 रुपये आंतरिक राहत दी जायेगी।

जब कि 2 लाख रुपये का मुआवजा जिला बोर्ड द्वारा दिया जा सकता है, 5 लाख रुपये के मुआवजे की राशि देने का निर्णय राज्य स्तर एवं केन्द्र स्तर पर नियुक्त बोर्डों द्वारा किया जायेगा।

इस योजना के तहत एक राष्ट्रीय बलात्कार पीड़ित सहायता कोष स्थापित किया जायेगा जिसमें केन्द्र सरकार बजट प्रावधान करेगी तथा योजना के सकल क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय महिला आयोग निगरानी रखेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा तथा सदस्यों के सम्पर्क नम्बर

1. **डा. गिरिजा व्यास**
   अध्यक्षा
   फोन : 23236204, 23230785, 23236270
2. **सुश्री यास्मीन अब्रार**
   सदस्या
   फोन : 23237240
3. **सुश्री सुशीला तिरिया**
   सदस्या
   फोन : 23236202
4. **सुश्री नीवा कंवर**
   सदस्या
   फोन : 23236153
5. **सुश्री मालिनी भट्टाचार्य**
   सदस्या
   फोन : 23236203
6. **श्री एन.पी. गुप्ता**
   सदस्य-सचिव
   फोन : 23236271

सदस्यों के दौरे

- सदस्या यास्मीन अब्रार ने सहारनपुर में महिला कारीगरों की समस्याएं समझने और उनके निदान के तरीके निकालने के प्रयोजन से वहां की महिला कारीगरों की एक जन-सुनवाई में भाग लिया। कोटा में उन्होंने डिप्टी कमीश्नर, एस.पी. और महिला तथा बाल विकास विभाग के उप-निदेशक के साथ एक बैठक की और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की शिकायतों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। विभाग के उप-निदेशक ने बताया कि महिलाओं को परेशान किए जाने की 544 शिकायतें मिलीं जिनमें से 542 का निराकरण कर लिया गया।

जन सुनवाई को सम्बोधित करते हुए सुश्री यास्मीन अब्रार

बाद में, उन्होंने कोटा में महिलाओं के कल्याणार्थ काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के साथ एक बैठक की। अंजुमन मदरसा इस्लामिया मकबरा में अमान बीड़ी मजदूर संघ द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भी उन्होंने भाग लिया। यहां बीड़ी कामगारों द्वारा अपनी समस्याओं पर प्रकाश डालने वाला एक अभ्यावेदन उन्हें दिया गया। तत्पश्चात् सुश्री अब्रार ने महिला बीड़ी कामगारों की एक जन सुनवाई में भाग लिया जहां कम वेतन देने, वेतन का भुगतान न किए जाने, बी.पी.एल. पहचान-पत्र जारी न करने, आवास, विधवा पेंशन, ठेकेदारों द्वारा परेशान किए जाने आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। बाद में वह सेंट्रल जेल में महिला बैरकों का मुआयना करने गयीं जहां उन्होंने महिला बंदियों की दशा असंतोषजनक पायी।

- सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल में आई.सी.डी.एस. के कार्यान्वयन के एक अध्ययन पर विचार करने के लिए राज्य योजना बोर्ड की बैठक में भाग लिया। वह पटना भी गयीं और बिहार राज्य महिला आयोग के साथ एक बैठक की जो राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग में कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहता था। बाद में उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों तथा महिला संगठनों की एक बैठक में भाग लिया। उन्होंने 'गरीबी निवारण रणनीतियां कार्यक्रम' विषय पर 'विकास के विकल्प' नामक संगठन द्वारा आयोजित एक तीन-दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन भी किया।

  कोलकता वापस आने पर, वह 'जनसंख्या नीतियों में महिला परिप्रेक्ष्य' विषय पर भाषण देने राष्ट्रीय न्याय विज्ञान विश्वविद्यालय गयीं।

  कोलकता में उन्होंने 'बाल विवाह की रोकथाम, महिलाओं का अनैतिक व्यापार तथा दहेज निषेध' पर एक सेमिनार में भाग लिया। जादवपुर विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केन्द्र में उन्होंने 'प्रतिनिधित्व की राजनीति और महिलाएं' विषय पर मुख्य भाषण दिया।

- दो पुरुषों द्वारा कार में सादिका का कथित बलात्कार किए जाने के मामले की जांच करने सदस्या निर्मला वेंकटेश कोलार जिले में शिद्दलगत्ता नामक स्थान पर गयीं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने सादिका से मुलाकात की और उसके होने वाले ससुर को प्रेस के सम्मुख अपने लड़के का विवाह सादिका के साथ करने को राज़ी कर लिया।

  उन्होंने पुलिस से आरोपी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने को कहा। बाद में वह सादिका के होने वाले पति से मिलीं जिसने कहा कि वह 30 सितम्बर, 2005 को उससे विवाह कर लेगा।

महत्वपूर्ण निर्णय

समझौते की असंभवता तलाक का आधार : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लम्बे वर्षों तक किसी पुरुष और उसकी पत्नी के बीच का अपरिवर्तनीय अलगाव जिससे दोनों के बीच सामान्य दाम्पत्य जीन बिताने का मिलन असंभव बन जाता है, तलाक के लिए एक वैध आधार है।

महिलाओं पर न्यायाधीश आक्षेप न करें : मुख्य न्यायाधीश

महिलाओं तथा कार्यकर्ताओं के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने महाराष्ट्र के न्यायालयों द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों में महिलाओं के चरित्र के प्रति की जाने वाली असंयत टिप्पणियों के प्रति भरपूर असम्मति जताई है। उन्होंने साथी न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और ट्रिबुनलों के लिए नियम निर्धारित किए हैं जिनमें गंभीरता और संयम बरतने की आवश्यकता बताई गयी है और कहा गया है कि 'जब तक कि नितांत आवश्यक न हो, न्यायालयों को किसी व्यक्ति, विशेषकर महिला, के चरित्र पर आक्षेप नहीं करना चाहिए।'

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सती पूजा पर रोक

निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने झुनझुनू के पांच मंदिरों में सती महिमा-मंडन पर रोक लगा दी है। झुनझुनू के जिला न्यायालय द्वारा इन मंदिरों में पूजा की अनुमति दे दिए जाने के विरुद्ध राज्य सरकार की याचिका पर यह निर्णय दिया गया।

To,

_____

_____

_____

_____

_____

_____

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन